संख्याः–शिक्षा–एच(21)ए(1)पी.एस–16/2021–सामान्य निर्देश
निदेशालय (उच्चतर शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश।
दिनांक : शिमला–171001

शिक्षा निदेशालय उच्चतर हि.प्र.
17 MAR 2023
शिमला-1

सेवा में,

समस्त उपनिदेशक (उच्चतर शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश।

विषयः– निजी स्कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023–24 में लिये जाने वाले फीस व फंड का विवरण नोटिस बोर्ड पर दर्शाने बारे।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में छात्र अभिभावक मंच, किसान–मजदूर भवन, चिटकारा पार्क, लोअर कैंथू शिमला–3 से दिनांक 15.02.2023 को प्राप्त ज्ञापन आपको प्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि आप हिमाचल प्रदेश में संचालित समस्त (हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली व काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली से संबद्वता प्राप्त) निजी स्कूलों को निम्नलिखित निर्देश जारी करें:–

1. समस्त निजी स्कूलों को हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियमन) अधिनियम, 1997 व नियम 2003 में निहित प्रावधानों के अनुसार शिक्षक अभिभावक संघ **(PTA)** का गठन किया जाये।
2. हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियमन) अधिनियम, 1997 व नियम 2003 में निहित प्रावधानों के अनुसार निजी स्कूलों की फीस शोषण करने वाली न होकर शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहयोग करने वाली होनी चाहिए। अतः समस्त निजी स्कूल प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों/मुख्याध्यापकों को स्कूल में पढ रहे छात्रों के अभिभावकों से विचार–विमर्श उपरान्त ही छात्रों से ली जाने वाली फीस व फण्ड निर्धारित करने तथा समस्त अभिभावकों की सहमति से निर्धारित फीस व फण्ड का पूर्ण विवरण **(Break-up)** सहित कक्षा बार पुस्तकों की सूची अभिभावकों की सुविधा हेतु स्पष्ट शब्दों में स्कूल के नोटिस बोर्ड व वैबसाईट पर प्रदर्शित करने के आदेश जारी करें।
3. समस्त निजी स्कूलों को बिना उचित अनुमति के स्कूलों में किताबे, कापियॉं, बर्दी व जूते आदि न बेचने तथा किसी चिन्हित दुकान से अभिभावकों को किताबे, कापियॉं, बर्दी व जूते आदि खरीदने पर बाध्य न करने के आदेश जारी करे।
4. किसी भी स्कूल द्वारा छात्रों को स्कूल के प्रतिक चिन्ह **(Logo)** वाली किताबें/कापियॉं लेने के लिए बाध्य न किया जाये।
5. किसी भी स्कूल द्वारा **School Tours & Trips** के नाम पर बसूल की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में शैक्षणिक टूअर प्रोग्राम अभिभावकों की सहमति से बनाये जायें, टूअर प्रोग्राम के सन्दर्भ में एस डी एम को भी अवगत करवाया जाये तथा **School Tours & Trips** छात्रों के लिए अनिवार्य के बजाये स्वैच्छिक किया जाये व इसमें विद्यार्थियों की सुरक्षा **(Safety & Security)** का सर्वोपरि ध्यान रखने के आदेश जारी करे।
6. शैक्षणिक सत्र 2022–23 में लिये गये फीस व फण्ड सहित सामान्य सभा में आगामी शैक्षणिक सत्र **(2023-24)** के लिए निर्धारित फीस व फण्ड (मासिक व वार्षिक) का कक्षा बार विवरण सामान्य सभा में पारित प्रस्ताव की प्रति सहित विभाग को प्रेषित करें।

उक्त सन्दर्भ में आपको निर्देश दिये जाते है कि आप समस्त निजी स्कूल प्रमुखों को उक्त निर्देशो का पालन करने व समस्त निजी स्कूलों को प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियमन) अधिनियम, 1997 व नियम 2003 की अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश जारी करें।

निदेशक (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश शिमला–1
मार्च, 2023

पृष्ठांकन संख्याः सम् दिनांकः शिमला– 171001,
प्रतिलिपि सूचनार्थ आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित है:

1. सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश को छात्र अभिभावक मंच से दिनांक 15.02.2023 को प्राप्त ज्ञापन इस आश्य के साथ प्रेषित है कि बोर्ड से सम्बन्धित विन्दुओं पर आगामी कार्यवाही करने की कृपा करें।
3. रक्षक नस्ति।

निदेशक (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश शिमला–1

1305
22/3

V. Imp
A-2 Circulate these instructions in the private schools
DDHE 22/3/23
BL 22/3/23

Endst. No: - EDN-U (A-II) PVT/ 2022/ 6736 Dated 23, March, 2023
Office of the Deputy Director of Higher Education,
Una Distt. Una (HP).
Copy to:

1) All the Heads of Private .Senior Secondary Schools/ High Schools in Una Distt for information and strict compliance.

Dy. Director of Higher Education,
UnaDistt. Una (HP).

4ey 23107503
17-2-23 17-2-23

# छात्र अभिभावक मंच

किसान–मजदूर भवन, चिटकारा पार्क, लोअर कैथु, शिमला–3

दिनांक 15 फरवरी, 2023

सेवा में

P.S. Cell
DHE
15 FEB 2023
Addl. Dir. (Plan.)
Branch

माननीय निदेशक,
उच्चतर शिक्षा,
हिमाचल प्रदेश सरकार,

विषय : **प्राईवेट स्कूलों में भारी फीसों, ड्रैस व किताबों की कीमतों को संचालित करने के संदर्भ में कानून व रेगुलेटरी कमीशन स्थापित करने बारे।**

महोदय,

छात्र अभिभावक मंच आपका ध्यान हि. प्र. में प्राइवेट स्कूलों द्वारा ड्रैस व किताबों की बेइंतहा कीमतों के नाम पर की जा रही मनमानी, लूट व भारी फीसों की ओर आकर्षित करना चाहता है। आपको मालूम ही है कि पिछले कई वर्षों से प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक आंदोलनरत हैं। यह आन्दोलन प्राइवेट स्कूलों द्वारा की जा रही केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट व माननीय हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के आदेशों की अवहेलना के खिलाफ है। छात्र अभिभावक मंच मानता है कि अच्छी व बेहतर शिक्षा हर छात्र का बुनियादी अधिकार है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के राज्य के दिशानिर्देशक सिद्धान्तों में स्पश्टतः अंकित है। वर्ष 2009 में बने शिक्षा के अधिकार कानून ने इस अवधारणा को और मजबूत किया है कि शिक्षा अधिकार है न कि विशेषाधिकार। इन सभी कानूनों, केन्द्र व प्रदेश सरकार की अधिसूचनाओं व हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की तानाशाही इस बात से भी पता चलती है कि प्रदेश के उच्चतर शिक्षा निदेशक द्वारा बार – बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी प्रदेश के 3415 प्राइवेट स्कूलों में से भी गिने चुने स्कूलों ने ही इन नोटिसों का जवाब दिया। अतः स्पष्ट है कि ये प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं व किसी भी कानून की पालना में यकीन नहीं करते हैं। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है इन प्राइवेट स्कूलों को संचालित करने के लिए उचित कार्रवाई अमल में लाएं। आशा है कि आप इस संदर्भ में सहानुभूतिपूर्वक विचार करके कड़ी कार्रवाई अमल में लाएंगे।

**मुख्य मांगें :–**

1. प्राईवेट स्कूलों में भारी भरकम फीसों की लूट पर रोक लगाई जाए।
2. एनुअल चार्ज़िज़, टयूशन फीस, स्पोर्टस व गेम्ज़, स्मार्ट क्लास रूम फीस, मोबाईल चार्ज़िज़ व अन्य फंडों के नाम पर लूट पर रोक लगाई जाए तथा केवल ज़ायज़ टयूशन फीस वसूली जाए। MHRD की वर्ष 2014 व हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय की वर्ष 2020 की गाईडलाईनज़ के अनुसार अभिभावकों की आम सभा की सहमति के बगैर कोई भी फीस वृद्धि न की जाए।
3. चुनिंदा दुकानों से ड्रैस व किताबों की अनिवार्यता खत्म की जाए। कमीशनखोरी तथा हर वर्ष इनकी कीमतों में भारी वृद्धि पर रोक लगाई जाए।

Sh. Jagdish Sharma
17-2-23

4. निजी स्कूलों में एन.सी.ई.आर.टी. व एस.सी.ई.आर.टी. का पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाए व प्राईवेट पब्लिशरज़ की महंगी किताबों पर रोक लगाई जाए ताकि कमीशनखोरी पर रोक लगे तथा छात्रों को सस्ती व गुणवत्तापूर्वक किताबें उपलब्ध हो सकें।
5. फीसों को संचालित करने के लिए कानून व रेगुलेटरी कमिशन बनाए जाएं।
6. हिमाचल प्रदेश शिक्षण संस्थान (विनियम) अधिनियम 1997 व नियम 2003 सख्ती से लागू किए जाएं।
7. बच्चों की सिक्योरिटी व सेफ्टी के लिए 15 अप्रैल 2018 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू किया जाए।
8. फीसों के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का 27 अप्रैल, 2016 का ऑर्डर लागू किया जाए।
9. MHRD की वर्ष 2014 व CBSE की वर्ष 2005 की गाईडलाईनज लागू की जाएं।
10. शिक्षा का अधिकार कानून 2009 लागू किया जाए व RTE Act 2009 के अनुसार स्कूलों में लोकतांत्रिक तरीके से PTA का गठन किया जाए जिसमें 75 प्रतिशत हिस्सेदारी अभिभावकों की हो व इसे Website पर अंकित किया जाए।
11. स्कूल टूअरों, ट्रिपों व पिकनिक के नाम पर हजारों रूपयों की ठगी बंद की जाए व इन्हें अनिवार्य के बजाए स्वैच्छिक किया जाए।
12. कार्यक्रमों में वस्तुओं की एम.आर.पी. से ज्यादा बसूली जा रही राशि पर तुरंत रोक लगाई जाए।
13. स्कूलों द्वारा बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से स्कूल बसों का प्रबंध किया जाए। एचआरटीसी बसों की व्यवस्था की जाए व बस पास पर भारी भरकम राशि पर रोक लगाई जाए।
14. भारी प्रोस्पेक्टस फीस पर रोक लगाई जाए। स्कूलों में जितनी सीटें हैं, उतने ही प्रोस्पेक्टस बेचने की इजाज़त स्कूल को दी जाए।
15. प्राईवेट स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया में मनमानी पर रोक लगाई जाए व बच्चों के लिए "पहले आओ–पहले पाओ" की तर्ज पर प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। इंटरव्यू सिस्टम बंद किया जाए।
16. अध्यापकों व कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाए व उन्हें सरकारी नियमों के अनुसार वेतन व भत्ते दिए जाएं।
17. प्लस वन की वार्षिक फीस एडवांस में लेना बंद की जाए व छात्रों की स्ट्रीम अथवा संकाय जबरन बदलना तथा उन्हें स्कूल से निकालना बंद किया जाए। छात्रों से हर वर्ष एडमिशन फीस वसूलना बन्द की जाए।

विजेन्द्र मेहरा
संयोजक
9418119166

विवेक कश्यप
सह–संयोजक
9418128060